समग्र शिक्षा,पाकुड़

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका एवं शिक्षिकेत्तर कर्मियों के चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. विभागीय आदेश संख्या 2835, दिनांक 03.11.2022 के आलोक में जिला में संचालित 06 आवासीय कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु **केवल पाकुड़ जिला के** योग्य एवं अहर्ताधारी **केवल महिला अभ्यर्थियों** से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदो के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक ....17/4/23...... के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा(SSA), पाकुड़ कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है :–

S.No.	Name of Post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– भाषा	5	2	0	0	0	3	5
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– गणित	3	1	0	0	0	2	3
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– सामाजिक विज्ञान	1	0	0	0	0	1	1
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– शारीरिक शिक्षा	4	2	0	0	0	2	4
6	पूर्णकालिक (महिला)– लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	0	0	0	1	1

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पाकुड़ के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में **निबंधित डाक द्वारा** जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, पाकुड़ में अनिवार्य रूप से दिनांक .... तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। **साधारण डाक से भेजे गये आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।**

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पदनाम</th><th>वांछित अहर्ता</th><th>देय परिलब्धि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भाषा शिक्षिका (हिन्दी / अंग्रेजी)</td><td rowspan="5">1. शैक्षणिक अहर्ता :– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषयक की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. प्रशैक्षणिक अहर्ता :– मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी. एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/ Degree in Physical Education अनिवार्य होगा।
3. शिक्षक पात्रता परीक्षा :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 06 से कक्षा 08 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। शारीरिक शिक्षिका हेतु TET अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है।</td><td rowspan="5">1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रूपये 15840/– प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी।
2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250/–रूपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गणित शिक्षिका</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विज्ञान शिक्षिका</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सामाजिक विज्ञान शिक्षिका</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शिक्षिका – शारीरिक शिक्षा</td></tr>
</table>

6	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (केवल महिलाओं के लिए)	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय से बी0कॉम0 प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्णता। 2. तकनीकी अहर्ता :– किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में पी0जी0डी0सी0ए0/डी0सी0ए0/समकक्ष परीक्षा में उतीर्णता 3. कार्य अनुभव :– हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 4. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रूपये 9900/–प्रतिमाह देय होगा (वर्तमान में मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव के अनुमोदन की स्थिति में यह देय होगा) 2. प्रत्येक एक वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जायेगा। 3. तीन वर्ष तक संतोषप्रद कार्य किये जाने के पश्चात् नियत मानदेय में एकबारगी 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150/–रूपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

चयन संबंधी दिशा–निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्ते निम्नवत् है :–

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरूष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जायेगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. आयु सीमा :–

   i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

S.No	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward Classes (Annexure –I)/Backward Classes (Annexure II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 year in their respective category

ii. अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छुट दी जायेगी।

iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

5. **आवेदन**– सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 17/4/23........ के संध्या 05:00 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा (SSA) पाकुड़ के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

6- प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें अहर्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा–निदेश जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.pakur.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित दिशा–निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय–समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।

7- आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :–

i. 23 X 10 से0मी0 का स्वःपता लिख हुआ दो लिफाफा।

ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाय।

iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति।

8. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।

9. अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त पाकुड़ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जायेगा।

10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजा, पाकुड़ को सुरक्षित रहेगा।

11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थित में वे स्वयं जवाबदेह होंगें।

12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरति आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4/4/23

उपायुक्त,
पाकुड़